0.16 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उप०।
वकुलाय की बहस एवं पत्रावली के अवलोकन
के पश्चात मनन करने पर दावा हाजा पर रेसज्यूडीकेटा
का सिद्धान्त एवं सी.पी.सी. धारा-11 एवं आदेश 7 नियम-11 आ.
डी. के तहत अवैध घोषित किया जाता है। विस्तृत
निर्णय पृथक से लिखवाकर संलग्न किया जावे।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सिकस्त की
जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर किया जावे
निर्णय दिनांक 13.10.16 को लिखवाया जाकर
सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन सिटी जिला करौली

मुकदमा नं0 99/2008 तारीख रजू:– 31.07.2008

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामावतार शर्मा

R.A.S.

1.	हरिराम पुत्र बदले	जाति जाट निवासी जाट की सराय
2.	रामभरोसी पुत्र बदले	हिण्डौन सिटी तह0 हिण्डौन सिटी
3.	बाबू पुत्र बदले	जिला करौली ——— वादीगण

बनाम

1.	महेश चन्द	पिसरान श्यामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी
2.	गोपाल	
3.	जितेन्द्र	चौबे पाडा हिण्डौन सिटी जिला करौली
4.	राजेन्द्र	
5.	मोहन	
6.	वीरेन्द्र	

7. दी स्टेट ऑफ राजस्थान तामील जरिये जिला कलक्टर, करौली
8. तहसीलदार,तहसील हिण्डौन हिण्डौनसिटी जिला करौली – प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा कानूनी तनकी के नम्बर 5 व 6 का निर्णय

उपस्थितः–1. श्री कन्हैयालाल शर्मा एडवोकेट वादीगण

2. श्री श्यामलाल शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी सं01ता 6

निर्णय दिनांक :– 13.10.2016

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ने दावा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 5000 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा कस्बा हिण्डौन वादीगण के कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि है। वादीगण की यह भूमि हिण्डौन बयाना रोड के पश्चिम दिशा में है।

वाद पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 5025 तथा 5026 वाके कस्बा हिण्डौन, हिण्डौन–बयाना रोड के पूर्व दिशा में स्थित है।

वाद पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि बन्दोवस्त अधिकारीगण ने बिला इस्तहकाक तथा बिला मर्जी क्षेत्राधिकार से परे वादीगण के उक्त भूमि मुतजिका मद नं01 वाद पत्र जो हिण्डौन बयाना रोड के पश्चिम दिशा में स्थित है का नया खसरा नम्बर 883 रकबा 0.39 है0 बना कर मांगीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी चौबेपाडा हिण्डौन की खातेदारी में दर्ज कर दिया है जबकि नवीन

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 883 से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है। नया खसरा नम्बर 883 वादीगण के कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 5000 का भू–भाग है। भू–प्रबन्ध अधिकारीगण को साबिक इन्द्राज में हेरा–फेरी करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए भू–प्रबन्ध अधिकारीगण ने वादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 883 की खातेदारी प्रविादीगण के हक में अवैध की है, जो बमुकावले वादीगण नल एण्ड वोईड तथा प्रभावहीन है।

वाद पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रतिवादीगण ने भू–प्रबन्ध अधिकारीगण की उक्त गलती का नाजायज फायदा उठाकर नवीन खसरा नम्बर 883 की बाबत् वादीगण के विरूद्ध मुकदमा नं0 427/93 उनवानी महेश बनाम हरीराम दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा माननीय अदालत में गलत दायर कर दिया है तथा दावे की आड में वादीगण को खसरा नम्बर 883 से बेदखल करना चाहते हैं। दौराने दावा उक्त भूमि को अन्तर्गत धारा 212राज0टीनेन्सी एक्ट तहसीलदार हिण्डौन की रिसीवरी में दे रखा है। तहसीलदार हिण्डौन ने वादीगण के कब्जा काश्त से ही रिसीवरी में लिया है। इस बाबत् तहसीदार हिण्डौन ने वादीगण को नीलामी में लेने हेतु नोटिस भी जारी किये हैं, लेकिन प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि को तहसीलदार हिण्डौन से नीलामी में नहीं लिया है ना ही प्रतिवादीगण का कभी कब्जा रहा है।

वाद पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि, वादीगण प्रतिवादीगण को हमेशा कहते रहे हैं कि भाईयो विवादित भूमि की खातेदारी हमारे हक में कराओ तो अंत में दिनांक 28.07.2008 को प्रतिवादीगण वादीगण के हक में खातेदारी कराने से इन्कार हो गये।

वाद पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि,बाका दिनांक 28.07.2008 का है कि प्रतिवादी सं01 महेश ने वादीगण को यह ऐलानियॉ धकमी दी है कि दिनांक 29.07.2008 को मुकदमा नं0427/93 का फैंसला होने वाला है। जमीन रिसीवरी से हटते ही हम प्रतिवादीगण कब्जा करेंगे तथा वादीगण को बेदखल करेंगे। इससे हकूक वादीगण पर विपरीत असर पडता है। इसलिए दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा दायर करना लाजिम आया। दिनांक 30.07.2008 को प्रतिवादीगण का दावा डिक्री हो गया है। दावा डिक्री होते ही प्रतिवादीगण ने उक्त अमर की धमकी दी है।

वाद पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि, विनायदावा दिनांक 28.07.2008 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को विवादित भूमि खसरा नम्बर 883 से बेदखल करने की एलानियॉ धमकी देने से तथा वादीगण के हक में खातेदारी कराने से इन्कार होने से बमुकाम हिण्डौन अन्दर हदूद आराजी अदालतबाला पैदा हुई। दावा हाजा अन्दर मियाद पेश है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा खातेदारी तथा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर खसरा नम्बर 883 रकबा 0.39 है0 वाके कस्बा हिण्डौन का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर

Scanned by CamScanner

वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण ना तो स्वंय और ना ही दीगर व्यक्तियों की मदद से विवादित भूमि खसरा नम्बर 883 के किसी भी भाग से वादीगण को बेदखल ना करें। वादीगण को मुसलसल रूप से काश्त करते रहने देवें। ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे हकूक वादीगण पर विपरीत प्रभाव पडे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं07 बाबजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध दिनांक 04.05.2010 को एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये तथा प्रतिवादी सं01 ता 6 बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। 9

प्रतिवादीगण सं01 ता 6 की ओर से दिनांक 29.04.2013 को जबावदावा पेश किया। जो शामिल मिसल हैं। जबावदावा के मद नं01 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं01 जिस प्रकार तहरीर किया है, गलत है स्वीकार नहीं है। आराजी साबिक खसरा नम्बर 5000 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा वादीगण के कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि नही है।

जबावदावा के मद नं02 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं02 जिस प्रकार तहरीर किया है, स्वीकार है।

जबावदावा के मद नं03 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं03 जिस प्रकार तहरीर किया है, गलत है स्वीकार नहीं है। बन्दोवस्त अधिकारीगण ने वादपत्र के मद नं01 में दर्ज भूमि का नया नम्बर 883 रकबा 0.39 है0 नहीं बनाया है बल्कि प्रतिवादीगण की साबिक खातेदारी खसरा नम्बर 5025 व 5026 से नया खसरा नम्बर 883 रकबा 0.39 है0 बनाया है, जो प्रतिवादीगण के पिता श्यामस्वरूप पुत्र मांगीलाल की खातेदारी में दर्ज है। वादीगण की साबिक भूमि खसरा नम्बर 5000 का कोई भू–भाग खसरा नम्बर 883 में नहीं है। न ही भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों ने वादीगण के साबिक इन्द्राज में हेराफेरी की है। भू–प्रबन्ध के कर्मचारियों ने प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नम्बर 883 की खातेदारी प्रतिवादीगण के हक में सही की है। वादीगण जबरन लट्ठ के बल पर प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नम्बर 883 को छीनना चाहते हैं, जिसका वादीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

जबावदावा के मद नं04 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं04 जिस प्रकार तहरीर किया है, गलत है स्वीकार नहीं है।प्रतिवादीगण ने वादीगण के खिलाफ मुकदमा नं0 427/93 उनवानी महेश बनाम हरिराम दावा स्थायी निषेधाज्ञा सही पेश किया था जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30.07.2008 को डिक्री फरमा दिया गया था तथा डिक्री होने के पश्चात उक्त उनवानी प्रकरण वादीगण ने माननीय न्यायालय में दुबारा पेश कर दिया है जो खारिज होने योग्य है। शेष उज्रात मजीद में दर्ज है।

जबावदावा के मद नं05 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं05 जिस प्रकार तहरीर किया है, गलत है स्वीकार नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के हक में खातेदारी कराने का ...

Scanned by CamScanner

वादीगण का उक्त भूमि से सम्बन्ध वास्ता रहा है, उक्त मद में सारी बातें बनावटी दर्ज की है।

जबावदावा के मद नं06 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं06 जिस प्रकार तहरीर किया है, गलत है स्वीकार नहीं है। दिनांक 28.03.2008 को महेश ने वादीगण को कोई धमकी नहीं दी बल्कि वादीगण को ही आभास हो गया था कि प्रतिवादीगण का दावा मुकदमा नं0 427/93 डिकी होने के पश्चात यह दावा वादीगण ने खिलाफ कानून पेश किया है, जो खारिज होने योग्य है।

जबावदावा के मद नं07 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं07 जिस प्रकार तहरीर किया है, गलत है स्वीकार नहीं है। प्रतिवादीगण ने वादीगण को कोई धमकी नहीं दी बल्कि प्रतिवादीगण ने कानूनन माननीय न्यायालय में दावा पेश कर रखा था।

जबावदावा के मद नं08 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं08 जिस प्रकार तहरीर किया है, गलत है स्वीकार नहीं है।वादीगण ने दावा बखिलाफ कानून व बिना क्षेत्राधिकार पेश किया है, जो खारिज होने योग्य है।

जबावदावा के मद नं010 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नं010 का उपमद क,ख,ग जिस प्रकार तहरीर है गलत है स्वीकार नहीं है तथा वादीगण कोई रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

जबावदावा के मद नं011 विशेष विवरण में दर्ज किया है कि – उक्त उनवानी प्रकरण में वादीगण द्वारा वाद पत्र के मद नं0 10 क में जो रिलीफ चाही गई है " यह कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा खातेदारी तथा इन्द्राज दुरूस्ती डिकी किया जाकर खसरा नम्बर 883 रकबा 0.39 है0 वाके कस्बा हिण्डौन सिटी का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे " का निर्णय माननीय न्यायालय ने बउनवानी प्रकरण महेश बनाम हरीराम वगैराह मुकदमा नं0 427/93 दिनांक 30.07.2008 को इन्हीं पक्षकारों के मध्य सुनकर किया जा चुका है, जिसमें माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.07.2008 के निर्णय में तनकी नं01 जो कायम की गई थी तथा जिसका निर्णय माननीय न्यायालय ने उक्त उनवानी प्रकरण के प्रतिवादीगण तथा पूर्व वाद मुकदमा नं0 427/93 में वादीगण के हक में लिया जा चुका है तथा उक्त तनकी को उक्त उनवानी प्रकरण में प्रतिवादीगण के में साबित माना है फिर भी वादीगण ने यह दावा पुनः माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है, जो अन्तर्गत धारा 11 व आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 के तहत खारिज होने योग्य है।

जबावदावा के मद नं012 में दर्ज किया है कि वादीगण ने मुकदमा नं0 427/93 बउनवानी महेश बनाम हरीराम माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.07.2008 के विरूद्ध अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के यहॉ पेश की थी, जो अपील सं0 119/2008 माननीय राजस्व अपील अधिकारी ने दिनांक 27.07.2011 को खारिज फरमा दी गई तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा है।

Scanned by CamScanner

जबावदावा के मद नं013 में दर्ज किया है कि वादीगण ने उक्त उनवानी प्रकरण प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करने की गर्ज से पेश किया है, जबकि माननीय न्यायालय द्वारा इन्हीं पक्षकारों के मध्य इन्ही विवाद बिन्दु पर प्रत्यक्षतः और भारत विचारण कर निर्णय किया जा चुका है।

जबावदावा के मद नं014 में दर्ज किया है कि उक्त उनवानी प्रकरण बार्ड वाई ला होने के कारण खारिज होने योग्य है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

दावा एवं जबावदावा के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई :–

1. आया बन्दोवस्त अधिकारीगण ने विला इस्तहकाक तथा विला फर्जी क्षेत्राधिकार से परे वादीगण की भूमि साबिक खसरा नम्बर 5000 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा जो बयाना रोड पश्चिम दिशा में स्थित है का नया खसरा नम्बर 883 रकबा 0.39 है0 मांगीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी चौबेपाडा की खातेदारी में गलत दर्ज कर दिया हैं। -- जिम्मे वादीगण
2. आया नवीन खपसरा नम्बर 883 से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता नहीं है। – जिम्मे वादीगण
3. आया नवीन खसरा नम्बर 883 वादीगण के कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 5000 का भू–भाग है। –जिम्मे वादीगण
4. आया बउनवानी प्रकरण महेश बनाम हरिराम मुकदमा नं0 427/93 दिनांक 30.07.2008 को इन्हीं पक्षकारों के मध्य सुनकर माननीय न्यायालय ने दिनांक 30.07.2008 को डिक्री कर खसरा नम्बर 883 रकबा 0.39 है0 कस्बा हिण्डौन सिटी का प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जा चुका है। – जिम्मे प्रतिवादीगण
5. आया उनवानी प्रकरण महेश बनाम हरिराम मुकदमा नं0 427/93 दिनांक 30.07.2008 की अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर कैम्प करौली में अपील सं0 119/2008 दिनांक 27.07.2011 को खारिज फरमा दी है। – जिम्मे प्रतिवादीगण
6. आया उक्त उनवानी दावा धारा 11 व आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 के तहत खारिज होने योग्य है। – जिम्मे प्रतिवादीगण
7. अनुतोष

वकील वादीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल नक्शा ट्रेस हाल खसरा नम्बरान– किता 2, नकल मिलान क्षेत्रफल –2 किता, नकल जमाबन्दी सं0 2037 से 40, नकल नक्शा ट्रेस साबिक खसरा नम्बरान, नकल जमाबन्दी सं0 2063 से 66, पेश किये हैं।

इसके विपरीत वकील प्रतिवादीगण ने दस्तावेजी सबूत में मुकदमा नं0 427/93 दावा उनवानी महेश बनाम हरीराम वगैराह न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन के निर्णय दिनांक 30.07.2008 की प्रमाणित प्रति, अपील सं0 119/2008 उनवानी हरीराम वगैराह बनाम महेश वगैराह न्यायालय राजस्व

Scanned by CamScanner

अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 27.07.2011 की छांया प्रति पेश की है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रतिवादीगण सं01 ता 6 के अधिवक्ता ने कानूनी तनकी नं0 5 व 6 पर बहस सुनकर निर्णय पारित कराने का निवेदन किया। जिस पर वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया। पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में कायम की गई तनकी नं05 व 6 कानूनी है। जिनका निर्णय निम्नानुसार किया जाता है :–

12

निर्णय तनकी नं05 :– आया उनवानी प्रकरण महेश बनाम हरिराम मुकदमा नं0 427/93 दिनांक 30.07.2008 की अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर कैम्प करौली में अपील सं0 119/2008 दिनांक 27.07.2011 को खारिज फरमा दी है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे हैं। जिसको साबित करने के लिए प्रतिवादीगण ने उनवानी प्रकरण महेश बनाम हरिराम मुकदमा नं0 427/93 दिनांक 30.07.2008 के विरूद्ध पेश की गई अपील सं0 119/2008 माननीय राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 27.07.2011 की छांया प्रति पेश की है। जिसमें वादीगण हरीराम वगैराह की अपील खारिज की जा चुकी है तथा अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन का निर्णय दिनांक 30.07.2008 को यथावत रखा गया है तथा वादीगण हरीराम वगैराह के द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 27.07.2011 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश कर रखी हो इस बाबत् कोई दस्तावेजी सबूत वादीगण के द्वारा पेश नहीं किया गया है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादीगण निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी नं06 :– आया उक्त उनवानी दावा धारा 11 व आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 के तहत खारिज होने योग्य है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे है। यह तनकी कानूनी है। जिस पर दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत रिकार्ड एवं बहस पर मनन करने के उपरान्त ही निर्णय पारित किया जाना है।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबंदी सं0 2063 से 66 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 883 रकवा 0.39 है0 वाके ग्राम हिण्डौन की खातेदारी महेशचन्द गोपाललाल जितेन्द्र कुमार राजेन्द्र कुमार मोहनलाल वीरेन्द्र कुमार पि0 श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल जाति ब्राहम्ण नि0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2037 से 40 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 5000 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम हिण्डौन की खातेदारी हुकम पुत्र घोट हि01/2 हरीराम रामभरोसी बाबू पि0 बदले हि01/2 जाति जाट निवासी ग्राम हिस्सा बराबर के नाम दर्ज रिकार्ड तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 2984 दिनांक 15.04.1983 हुकम पुत्र घोटी हि01/2 के स्थान

Scanned by CamScanner

पर हरीराम रामगरोसी बाबू पि0 बदले हि01/2 जाति जाट स्वीकृत हुआ दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल सं0 2046 से 66 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 5000 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा से दौराने से सेटिलमेन्ट हाल खसरा नम्बर 861 रकबा 0.62 है0, 862 रकबा 0.66 है0, 881 रकबा 1.19 है0 कायम किये गये हैं।

वादीगण के द्वारा हाल खसरा नम्बर 883 रकबा 0.39 है0 का मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की है, जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं होता है कि हाल खसरा नम्बर 883 रकबा 0.39 है0 दौराने सेटिलमेन्ट कौन से साबिक खसरा नम्बर से कायम किया गया है तथा वादीगण के द्वारा साबिक खसरा नम्बर 5000 से दौराने सेटिलमेन्ट कायम किये गये नवीन खसरा नम्बरों की भी जमाबन्दी की नकल पेश नहीं की है। जबकि मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 5000 का कुल रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा था तथा दौराने सेटिलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 861 रकबा 0.62 है0, 862 रकबा 0.66 है0, 881 रकबा 1.19 है0 कायम किये गये हैं। जिनका कुल क्षेत्रफल 2.47 है0 कायम किया गया है। जो साबिक रकबा के मुकाबले हाल रकबा 0.03 है0 अधिक है। वादीगण ने खसरा नम्बर 883 रकबा 0.39 है0 की खातेदारी अपने नाम कराने का दावा तो पेश किया है किन्तु दौराने सेटिलमेन्ट बढी हुई भूमि रकबा 0.03 है0 + 0.39 है0 भूमि इस प्रकार कुल 0.42 है0 भूमि किस खसरा नम्बर में से कम कर वादीगण की खातेदारी से हजफ की जानी है इस सम्बन्ध में वादीगण ने अपने वाद पत्र में कोई उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकार वादीगण क्लीन हैण्डस से न्यायालय में नहीं आये है। बल्कि न्यायालय को गुमराह करते हुए सेटिलमेन्ट विभाग की गलती बताकर 0.39 है0 भूमि की खातेदारी अपने नाम और अधिक दर्ज कराना चाहते हैं।

इसी के सम्बन्ध में इसी न्यायालय से मुकदमा नं0 427/93 उनवानी महेश वगैराह बनाम हरिराम वगैराह दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा में पारित निर्णय दिनांक 30.07.2008 का विवेचन किया जाना भी न्यायोचित प्रतीत होता है। उक्त निर्णय दिनांक 30.07.2008 तनकीयात के आधार पर निर्णित किया गया था। जिसमें तनकी नं01 – आया आराजी खसरा नम्बर 883 रकबा 39 एयर वारानी प्रथम स्थित कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन वादीगण के स्वामित्व, कब्जा काश्त व खातेदारी की आराजी है, जो वादीगण को अपने बुजुर्ग श्यामस्वरूप उर्फ मुन्नालाल से विरासत में मिली है – जिसके निर्णय में अंकित किया है कि वादीगण के द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी आधार वर्ष के खाता सं0 1554 में दर्ज खसरा नम्बर 883 रकववा 0.39 है0 वादीगण के पिता की खातेदारी एवं कब्जा काश्त में दर्ज है, मुताविक मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नम्बर 883, साबिक खसरा नम्बर 5025, 5026 मिन से कायम हुआ है, जो वादीगण की खातेदारी के खेत थे। जो वादीगण को उनके पिता से विरासत मे मिले हैं।यह तनकी बहक वादीगण महेश वगैराह के हक में निर्णित की गई है।

Scanned by CamScanner

इसी प्रकार तनकी नं02 – आया आराजी खसरा नम्बर 883 प्रतिवादी के कब्जे काश्त तथा खातेदारी की भूमि सेटिलमेन्ट पूर्व के खसरा नम्बर 5000 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा वाके कस्बा हिण्डौन की भूमि का एक भू–भाग है, जिसे प्रतिवादीगण ही काश्त करते चले आ रहे हैं। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे था। प्रतिवादीगण ने इस तनकी को साबित करने के लिए नकल मिलान क्षेत्रफल, नक्शा सीट साबिक व हाल, नकल जमाबन्दी आधार वर्ष पेश की है। परन्तु प्रतिवादीगण ने अपने खाते की नवीन जमाबन्दी पेश नहीं की है। मुताविक मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नम्बर 5000 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा से नवीन खसरा नम्बर 861 रकबा 0.62 है0, 862 रकबा 0.66 है0, 881 रकबा 1.19 है0 जो साबिक रकबा से अधिक रकबा होता है। नवीन खसरा नम्बरान का नक्शा पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादीगण रिकार्ड से तनकी को साबित करने में असफल रहे हैं। इस प्रकार यह तनकी बहक वादीगण महेश वगैराह खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की गई है।

इसी प्रकार तनकी नं03 – आया वाद पत्र के मुतजिका मद नं04 प्रतिवादीगण द्वारा देने धमकी व न करने देने काश्त वादीगण प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने के अधिकारी है। इस तनकी के निर्णय में अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादीगण अपनी मानकर जबावदावे में आये हैं इसलिए वाद पत्र के मुताविक मुतजिका मद नं04 प्रतिवादीगण द्वारा देने धमकी तथा वादग्रस्त आराजी वादीगण की खातेदारी होने के कारण वादीगण– प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। इसलिए यह तनकी बहक वादीगण महेश वगै0 खिलाफ प्रतिवादीगण हरीराम वगै0निर्णित की गई है।

उक्त तनकीयों के निर्णय के आधार पर वादीगण महेश वगैराह का दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नं0 427/1993 दिनांक 30.07.2008 को डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 883 रकबा 0.39 है0 बाके ग्राम हिण्डौन के बाबत् प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने के आदेश पारित किये गये हैं।

वादीगण महेश वगैराह का दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नं0 427/1993 में प्रतिवादीगण हरीराम वगैराह की ओर से प्रस्तुत जबावदावा में यह माना है कि खसरा नम्बर 5025 व 5026 का कुछ रकबा सडक बयाना रोड में चला गया है तथा उसका मुआवजा भी वादीगण महेश वगैराह द्वारा प्राप्त कर लिया है।

इससे साफ जाहिर है कि खसरा नम्बर 5025 व 5026 का कुछ रकबा तो सडक में चला गया तथा 0.39 है0 रकबा पश्चिम दिशा की तरफ खसरा नम्बर 5025 व 5026 का भाग शेष रहना प्रतीत होता है तथा खसरा नम्बर 883 रकबा 0.39 है0 दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 5025 व 5026 से सही कायम किया जाकर महेश वगैराह की खातेदारी में सही दर्ज किया जाना साबित होता है।

Scanned by CamScanner

इससे यह स्पष्ट हो चुका है कि बन्दोवस्त अधिकारीगण ने प्रतिवादीगण की भूमि साबिक खसरा नम्बर 5025 व 5026 मिन से हाल खसरा नम्बर 883 रकबा 0.39 है0 सही कायम किया गया है तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी में सही दर्ज किया गया है। हाल खसरा नम्बर 883 रकबा 0.39 है0 वादीगण हरीराम वगैराह की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नम्बर 5000 का भू–भाग होना साबित नहीं होता है। इसलिए वादीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 883 रकबा 0.39 है0 की खातेदारी अपने नाम कराने के भी अधिकारी साबित नहीं है। वादीगण का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना साबित नहीं होता है।

प्रतिवादीगण की ओर से एआईआर –नबम्वर 2007 पेज 780, एआईआर –मार्च 2007 पेज 768, एआईआर –अप्रेल 2007 पेज 830, एआईआर – जोलाई 2007 पेज1828, एआईआर –नबम्वर 2007 पेज 799 की नजीरें भी पेश की गई है।

प्रतिवादीगण के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूत प्रकरण महेश बनाम हरिराम मुकदमा नं0 427/93 में पारित निर्णय दिनांक 30.07.2008एवं माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के द्वारा अपील सं0 119/2008 उनवानी हरीराम वगैराह बनाम महेश वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 27.07.2011 की प्रतियॉ पेश की है। जिनके आधार पर यह स्पष्ट है कि इस मुकदमा व मुकदमा नं0 427/93 के पक्षकार एवं विवादित आराजीयात व वाद बिन्दू समान है। इसलिए उक्त प्रकरण पर रेसज्यूडीकेटा का सिद्धान्त भी लागू होता है किन्तु इसी न्यायालय के द्वारा दस्तावेजी सबूतों के अभाव में प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र ऑर्डर 07 रूल 11 व धारा 11 का प्रार्थना पत्र दिनांक 04.05.2010 को खारिज कर दिया गया था। परन्तु अब पत्रावली में दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो उक्त उनवानी दावा धारा 11 व आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 के तहत अवैट घोषित किये जाने योग्य है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादीगण निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सभी तनकी सं0 5 व 6 का निर्णय बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादीगण हुआ है। जिससे स्पष्ट हो चुका है कि विवादित आराजीयात हाल खसरा नम्बर 883 रकबा 0.39 है0 साबिक खसरा नम्बर 5000 का भू–भाग नहीं है बल्कि दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 5025 व 5026 मिन से सही कायम किया गया है। हाल खसरा नम्बर 883 रकबा 0.39 है0 की खातेदारी वादीगण अपने हक में कराने के अधिकारी साबित नहीं होते हैं। यदि खसरा नम्बर 883 रकबा 0.39 है0 साबिक खसरा नम्बर 5000 का ही भू–भाग था तो वादीगण हरिराम वगैराह को मुकदमा नं0 427/93 में जबावदावा के साथ ही काउन्टर दावा या पृथक से दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण महेश वगैराह के विरूद्ध दायर करना चाहिए था। इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा समान आराजीयात, समान पक्षकार एवं समान बिन्दु होने के कारण उक्त प्रकरण पर रेसज्यूडीकेटा का सिद्धान्त भी लागू होता है अर्थात धारा 11 एवं आर्डर 07 रूल

Scanned by CamScanner

11 सीपीसी भी लागू होती है। जिसके आधार पर भी वादीगण हरीराम वगैराह का दावा खिलाफ प्रतिवादीगण महेश वगैराह खारिज होने योग्य है। वादीगण का दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण अवैट घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः मुकदमा नं0 427/93 उनवानी महेश वगैराह बनाम हरीराम वगैराह दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा एवं मुकदमा नं0 99/2008 उनवानी हरीराम वगैराह बनाम महेश वगैराह दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा आराजी खसरा नम्बर 883 रकबा 0.39 है0 वाके कस्बा हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन सिटी में समान आराजीयात, समान पक्षकार एवं समान बिन्दु होने के कारण उक्त प्रकरण पर रेसज्यूडीकेटा का सिद्धान्त लागू होने से अर्थात धारा 11 एवं आर्डर 07 रूल 11 जा0दी0 के तहत वादीगण का दावा मुकदमा नं0 99/2008 उनवानी हरीराम वगैराह बनाम महेश वगैराह बाबत् बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा आराजी खसरा नम्बर 883 रकबा 0.39 है0 वाके कस्बा हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन सिटी अवैट घोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर वाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

16

निर्णय आज दिनांक 13.10.2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी जिला करौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी, जिला-करौली

Scanned by CamScanner

फाईनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन सिटी जिला करौली

इजलास श्री रामावतार शर्मा, R.A.S.

उनवान

1.	हरिराम पुत्र बदले	जाति जाट निवासी जाट की सराय हिण्डौन सिटी तह0 हिण्डौन सिटी जिला करौली ———— वादीगण
2.	रामभरोसी पुत्र बदले	
3.	बाबू पुत्र बदले	

बनाम

1.	महेश चन्द	पिसरान श्यामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी चौबे पाडा हिण्डौन सिटी जिला करौली
2.	गोपाल	
3.	जितेन्द्र	
4.	राजेन्द्र	
5.	मोहन	
6.	वीरेन्द्र	

(17)

7. दी स्टेट ऑफ राजस्थान तामील जरिये जिला कलक्टर, करौली
8. तहसीलदार,तहसील हिण्डौन हिण्डौनसिटी जिला करौली – प्रतिवादीगण

मुकदमा नं0 99/2008

दावा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती ,घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री कन्हैयालाल शर्मा एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू श्री श्यामलाल शर्माएडवोकेट मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व फाईनल डिकी दी जाती है दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा आराजी खसरा नम्बर 883 रकबा 0.39 है0 वाके कस्बा हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन सिटी में समान आराजीयात, समान पक्षकार एवं समान बिन्दु होने के कारण उक्त प्रकरण पर रेसज्यूडीकेटा का सिद्धान्त लागू होने से अर्थात धारा 11 एवं आर्डर 07 रूल 11 जा0दी0 के तहत वादीगण का दावा मुकदमा नं0 99/2008 उनवानी हरीराम वगैराह बनाम महेश वगैराह बाबत् बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा आराजी खसरा नम्बर 883 रकबा 0.39 है0 वाके कस्बा हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन सिटी अवैट घोषित किया जाता है। निर्णय व डिकी की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.10.2016 को यह डिकी जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन-करौली

रामावतार शर्मा
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी जिला करौली

Scanned by CamScanner